

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/स्था0/भरतपुर-जोन/2024/113

दिनांक:- 28/05/2024

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 393 दिनांक 01.03.2021 द्वारा निम्न अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। कार्मिका द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थायी करते हुये इन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 7 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री/श्रीमति/सुश्री)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	अल्का शर्मा (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता)	डीग	10.09.1984	04.03.2021	03.03.2023	04.03.2023

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/स्था0/भरतपुर-जोन/2024/113

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

दिनांक:- 28/05/2024

RajKaj Ref
7519259



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 2024.05.28 11:58:38 IST
Reason: Approved